भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3410

जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

नकली उर्वरकों की बिक्री

3410. डॉ. प्रभा मल्लिकार्जुन:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हावेरी जिले सहित कर्नाटक राज्य में किसानों को नकली या घटिया उर्वरक बेचे जाने की हाल की घटनाओं की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ग्रामीण बाजारों में नकली उर्वरकों का पता लगाने और उनके प्रचलन को रोकने के लिए वर्तमान में कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के बाद समय पर मुआवज़ा और गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या दावणगेरे सहित कर्नाटक के संवेदनशील जिलों में ऐसे जोखिमों को रोकने के लिए उर्वरक गुणवत्ता परीक्षण, दुकान निरीक्षण और डिजिटल ट्रैकिंग को सुदृढ़ करने की कोई योजना है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि किसानों को नकली या घटिया उर्वरक बेचे जाने के कुछ मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं। इस वर्ष, राज्य में 05 मामले/एफआईआर दर्ज किए गए हैं। बागलकोट जिले में नकली उर्वरकों की बिक्री के संबंध में 02 एफआईआर (92/2025 और 125/2025) दर्ज की गई हैं, जबकि राज्य के हावेरी जिले में घटिया उर्वरकों की बिक्री के संबंध में 01 एफआईआर (114/2025) और 02 मामले दर्ज किए गए हैं (सीसी संख्या की प्रतीक्षा है)।

(ख): उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ)-1985 में उर्वरक-वार विस्तृत विनिर्देश निर्धारित किए गए हैं। इन विनिर्देशों को पूरा न करने वाले किसी भी उर्वरक को देश में कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं बेचा जा सकता। एफसीओ के खंड 19 के तहत, निर्धारित मानकों के अनुरूप न होने वाले उर्वरकों की बिक्री या निर्माण पर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है। घटिया/नकली/मिलावटी उर्वरकों की बिक्री आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दंडनीय है।

इसके अलावा, राज्य में नकली/मिलावटी उर्वरकों की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए, क्षेत्र स्तर पर जागरूकता और सतर्कता के लिए जिला गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र है और प्रेस नोट, टीवी वार्ता, किसान गोष्ठी, कृषि मेला, कृषि महोत्सव आदि के माध्यम से नियमित आधार पर किसानों के बीच जागरूकता फैलाई जाती है।

इसके अलावा, कर्नाटक राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सचिव (कृषि) की प्रत्यक्ष निगरानी में, राज्य के चार राजस्व उप-मंडलों (बेंगलुरु, मैसूरु, बेलगावी और कलबुर्गी) में अपर निदेशक कृषि की अध्यक्षता में सतर्कता शाखा स्थापित की गई है जिसकी सहायता संयुक्त निदेशक कृषि करते हैं।

(ग) और (घ): कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऐसे कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए हैं। हालाँकि, राज्य में उर्वरक नमूनों की जाँच के लिए 7 उर्वरक नियंत्रण प्रयोगशालाएँ अधिसूचित हैं, जिनमें से 6 एनएबीएल से मान्यता प्राप्त हैं। इसके अलावा, राज्य और दावणगेरे जिले के अधिसूचित निरीक्षक नियमित रूप से अपने अधिकार क्षेत्र में डीलरों/उत्पादन इकाइयों/गोदामों का निरीक्षण करते हैं और उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के उपबंधों के अनुसार नकली/घटिया उर्वरकों की बिक्री के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हैं।

****